ماہنامہ
شعاع عمل
لکھنؤ

اگست ۲۰۱۲ء

قَالَ اللّٰهُ تبارَکَ وَتَعَالیٰ قَدْ جَاءَکُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَکِتَابٌ مُبِينٌ

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور روشن کتاب



نورہدایت فاؤنڈیشن، حسینیۂ غفرانمآب، چوک، لکھنؤ-۳

R.N.I. No. UPBIL/2004/13526
Postel Regd.No. SSP/LW/NP-75/2011-13 Dispatch Date: 2 & 6 of Every Month

SHUA-E-AMAL
Lucknow

शुआ-ए-अमल
हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका लखनऊ

August 2012





NOOR-E-HIDAYAT FOUNDATION
Imambara Ghufran Maab, Chowk, Lucknow-3 (U.P.) INDIA, Ph.:0522-2252230

बिस्मेही तआला

वर्ष 9 — अंक 2

न्यास संस्थापन

15 जमादिलऊला 1424 हि० / 16 जुलाई 2003 ई०

पत्रिका विमोचन

15 जमादिलऊला 1425 हि० / जुलाई 2004 ई०

पर्यवेक्षक:
मु० र० आबिद,

सलाहकार समिति

- प्रोफ़ेसर अल्लामा अली मुहम्मद नक़वी, अलीगढ़
- डॉ० महदी ख़्वाजा पीरी, ईरान
- सै० हसन अब्बास नक़वी, मुम्बई
- मौलाना हसन ज़फ़र नक़वी, कराची
- प्रोफ़ेसर हुसैन कमालुद्दीन अकबर, इलाहाबाद
- कैप्टन सिकन्दर रिज़वी, लखनऊ
- सै० आमर अब्बास नक़वी, मुम्बई
- शायरे अहलेबैत रज़ा सिरसिवी, सिरसी
- सै० सैफ़ अली नक़वी, दिल्ली
- मुहम्मद आलिम, हुसैनाबाद, लखनऊ

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन की

इस्लामी, ज्ञान व शोध

हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका

अगस्त 2012

शुआ-ए-अमल

"लखनऊ"

संरक्षक

क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै. **कल्बे जवाद** नक़वी साहब

सम्पादक
सै. मुस्तफ़ा हुसैन नक़वी 'असीफ़' जायसी

उप-सम्पादक
क़ायम महदी नक़वी 'तज़हीब' नगरौरी
सै० आसिफ़ अब्बास नौगांवी, हैदर अब्बास रिज़वी

मिलने का पता

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन

इमामबाड़ा हज़रत गुफ़रानमआब, मौलाना कल्बे हुसैन रोड, चौक, लखनऊ - 3
Phone No: 0522-2252230 Mobile No: 09335276180 — 09335996808

[illegible]

Per Copy 20/- Annual 200/-



R.N.I. No.
UPBIL/2004/13526



Postal Regd. No.
SSP/LW/NP-75/2008-10



WEBSITE:
www.noorehidayatfoundation.com
www.al-ijtihaad.com



E_mail:
noorehidayat@yahoo.com
noorehidayat@gmail.com

वार्षिक अंशदान

1- यूरोप, अमरीका, कनाडाः
80 अमरीकी डालर
2- ख़लीजी मुमालिकः
60 अमरीकी डालर
3- एशिया, पाकिस्तानः
40 अमरीकी डालर
4- पाकिस्तान ज़मीनी डाकः
20 अमरीकी डालर

लाइफ़ मेम्बरशिपः 4000/-

विषय सूची

अगस्त 2012ई०

रमज़ानुल मुबारक 1433हि०

रोज़ा (व्रत)

आयतुल्लाहिलउज़्मा सैय्यिदुलउलमा सै० अली नक़ी नक़वी ताबा सराह
सम्पादनः नूरे हिदायत फ़ाउन्डेशन
अनुवादकः सै० मुहिब्बुल हसन रिज़वी "समर" हल्लौरी

बिस्मिल्ला हिर्रमार्निरहीम

अल्हमदु लिल्लाहि रब्बिल आलिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुलमुर्सलीन व अलैहित्ताहिरीन।

रोज़ा "व्रत" इस्लामिक आदेशों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँलाकि व्रत अनेक धर्मों में है किन्तु इस्लाम ने जिस रोज़े 'व्रत' को पूजा बताया है वह सूर्योदय के पहिले (जब तक अंधेरा बाक़ी हो) प्रभात से लेकर सूर्यास्त तक ईश्वर की इच्छा के वास्ते कुछ मुख्य कार्यों को छोड़ देना अर्थात उनसे अलग रहना जैसे खाना पीना आदि को छोड़े रखना।

व्रत से लाभ

लाभ दो प्रकार के होते हैं। एक अध्यात्मिक दूसरा पदार्थीय उन्नति, अध्यात्मिक उन्नति ईश्वर को समझने, उसतक पहुँचने के लिए सोचने तथा ऊँचे विचार तथा भले पन की शक्ति से उत्पन्न होते हैं, और द्रव्यये लाभ अपने ही से भी सम्बन्धित रख सकते हैं व अन्य मनुष्यों से भी।

सबसे प्रथम अध्यात्मिक उन्नति जिसकी जननी बन्दे होने की कल्पना है और यही कल्पना पूजा की मूल आत्मा है और इसी के द्वारा मनुष्य को अपने हर कार्य की देख भाल का ध्यान आता है कि वह ऐसा काम न कर बैठे जो कर्तार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो और इसी का नाम क़ुरआन में तक़वा (भय) है।

रोज़ा मनुष्य में अल्लाह से डरने का गुण पैदा करता है। इस प्रकार कि वह रचनात्मक ढंग से इन्द्रियों से मुक़ाबला करने का अभ्यास कराता है। जीवन की उन आवश्यकताओं तथा इन्द्रियों की इच्छाओं जिनका मनुष्य अपने को कारागृही समझता है, वे रचनात्मक रूप से एक दैवी शक्ति के मुक़ाबले मे तुच्छ सिद्ध होती हैं और इसी कल्पना की उन्नति वह वस्तू है जो मनुष्य को अपने प्राण को बलिदान करने पर आमादा करती है।

यदि ध्यानपूर्वक सोचा जाये तो पता चलता है कि मनुष्य की कामनाएँ और अभिलाषाऐं ही हर प्रकार के अपराध की जननी है और इन्हीं कामनाओं (इन्द्रियों) पर काबू प्राप्त कर लेना ही मनुष्य का गौरव है।

मनुष्य का यह गुण नहीं की उसे गुस्सा कभी न आये, गुस्सा तो मनुष्य की एक मुख्य प्रवृत्ति है जिसके द्वारा बहुत से प्रशंसा योग्य कार्य भी पूरे किए जाते हैं। किन्तू मनुष्य का कमाल यह है कि गुस्से का प्रयोग ऐसे स्थान पर न करे जहाँ उसका प्रयोग अनुचित हो इसी प्रकार मनुष्य का कमाल यह नहीं कि उसमें इन्द्रियों द्वारा पैदा होने वाली अभिलाषाऐं न हों ऐसा मनुष्य तो रोगी है बल्कि कमाल यह है कि अपनी इच्छाओं को उचित समय और उचित ढंग से पूरी करे।

मनुष्य तथा पशु में उचित या अनुचित रूप से इच्छाओं को पूरा करने के अन्तर्गत अन्तर होना चाहिए।

रोज़ा इन्द्रियों पर विजय पाने के लिए एक सबसे अच्छी तपस्या है। इसमें बहुत सी उचित इच्छाओं जिनके पूरा करने पर भी मनुष्य अपराधी नहीं बनता वे भी एक निश्चित समय तक रोक दी जाती हैं। और इस प्रकार मनुष्य की हर इच्छा के उसके बस मे हो जाने की अधिक सम्भावना हो जाती है। और मानवता का तत्व में उभरता है। तथा उन्नति करता है।

इसके अतिरिक्त रोज़े से दीन दुखियों की तकलीफ़ों और उनके दुख दर्द की महत्ता समझ में आती है। साधारणतः अमीर लोगों को उपवास का मज़ा नहीं मिलता उन्हें उपवास के कष्ट का अनुभव नहीं होता, रोज़ा रखने के पश्चात उनको भूख के कष्ट का पता चलता है। और इस प्रकार उनके अन्दर ग़रीबों की सहायता की भावना उत्पन्न हो सकती है। जो भौतिक लाभ रोज़े द्वारा प्राप्त हो सकता है। वह यह है कि बहुधा शरीर में जो मल अथवा व्यर्थ पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं और जो पेट में इकट्ठा हो जाते हैं, रोज़े के कारण वह सब धुल जाते हैं। इस के अतिरिक्त आमाशय की मशीन जो ग्यारह महीने बराबर चलती रहती है, उसे एक महीना कुछ न कुछ विश्राम का समय मिलता है, और आमाशय में एक नवीन शक्ति आ जाती है। आर्थिक दृष्टकोण से भी यदि मनुष्य व्यर्थ रोज़ा खोलने के समय क़ीमती तथा स्वादिष्ट भोजन न करे और साधारण भोजन करे और साधारण भोजन करे तो इस प्रकार रोज़े से एक समय के खाने का पैसा बच सकता है। जिसे अन्य क़ौमी कार्यों में लगा कर अधिक लाभ उठाया जा सकता है।

स्वास्थ रक्षा का ध्यान

चूँकि इस्लाम मनुष्य की अध्यात्मिक रक्षा के साथ साथ शारीरिक रक्षा का भी ज़िम्मेदार है इसलिए उसने रोज़े में धैर्य तथा बर्दाश्त उसी हद तक रखा है जहाँ तक उससे मानव स्वास्थ तथा मानव जीवन को कोई हानि न पहुँचती हो। इसलिए रोज़े का निश्चित समय प्रभात से सूर्यास्त तक रखा गया है।

और एक दिन से अधिक लगातार रोज़ा रखने को मना किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि मनुष्य रोगी हो कि रोज़ा इसे हानि पहुँचाता हो या मुसाफ़िर (यात्री) हो तो इस अवस्था में रोज़ा न रखे बल्कि किसी और समय में इसके बदले को पूरा कर दें। इसी प्रकार वृद्धावस्था में या अधिक गर्म मिजाज़ होने के कारण हर दम प्यास लगने या स्त्रियों को गर्भवती रहने या बच्चा पैदा होने के तुरन्त बाद यदि रोज़ा रखने में कष्ट हो तो उनको रोज़ा की बजाय फ़िद्या (बदला) देने का आदेश दिया गया है। अर्थात हर रोज़े के बजाय एक मुद् सवा तीन पाव ग़ल्ला किसी निर्धन को दे और ऐसी दशा में इन रोज़ों की क़ज़ा (फिर रखना) की भी आवश्यकता नहीं है।

रोज़े का समय

रोज़े को एक नियम के अनुसार इस्लाम ने एक मुख्य समय में रखा है। और वह रमज़ान का महीना है जो चाँद के साल का नवाँ महीना है यदि रोज़े का समय निर्धारित न होता तो कोई शाबान के महीने में कोई शव्वाल के महीने में पृथक रूप से रोज़ा रख लेता और वह सामूहिक शान न पैदा होती जो एक समय के नियुक्त करने से पैदा हो गई है। इस सामूहिक रूप से रोज़े का रखना कष्टपूर्ण होते हुए भी अच्छा लगने लगता है इसलिए कि सब एक रंग में होते हैं।

रोज़ा तोड़ने वाली वस्तुऐं

निम्नलिखित वस्तुओं का रोज़े में छोड़ना आवश्यक है। इनसे रोज़ा टूट जाता है।

१. जान बूझकर और इरादे के साथ खाना पीना।

२. जान बूझकर और इरादे के साथ वीर्य का निकालना चाहे किसी रूप से क्यों न हो। इसमें कभी कभी अपनी स्त्री को भी देखने से बचाव करना होगा यदि वीर्य के निकलने की शंका हो।

३. रात को यदि जानबूझ कर या अन्जान में वीर्य निकला हो तो उसी अवस्था में जानबूझ कर बिना स्नान के उसी अवस्था में पड़ी रहना।

४. धूल गुबार आदि को हलक़ के नीचे उतरने देना।

५. जानबूझ कर क़ै (उल्टी) करना।

६. किसी द्रव चीज़ का अमल लेना।

७. सिर को पानी के अन्दर जैसे हौज़ या तालाब आदि में पूरा डूबोना।

८. खुदा, रसूल तथा पवित्र इमामों पर झूट बांधना

अर्थात किसी कथन या कार्य के बारे में मिथ्या से काम लेकर यह कहना कि यह कथन या कार्य ख़ुदा, रसूल या इमाम का है। इस ओर अधिक ध्यान भाषण देने वाले और मजलिस पढ़ने वालों को देना है।

चाँद

इस्लाम ने धार्मिक कार्यों और कर्तव्यों की पूर्ति के लिए सूर्य के साल का नहीं बल्कि चाँद के साल का विश्वास रखा है। इसलिए रोज़ों को भी चाँद के हिसाब से रमज़ान में रखा। जब चाँद हो गया, रोज़ा अनिवार्य हो गया फिर जब दूसरा चाँद (शव्वाल का) हुआ तो रोज़ा हराम, चाँद के निकलने का सम्बन्ध केवल देखने से है। किन्तु कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बदली या किसी और कारण से चाँद दिखाई नहीं पड़ता हो ऐसी दशा में चाँद निकलने की जाँच के हैं, जैसे दो आदिलों (न्याय करने वाले) की गवाही। आदिल उसे कहते हैं जिनके अच्छे कर्तव्यों तथा जिनकी पवित्र जीवनी का पूर्ण ज्ञान हो इसके अतिरिक्त मुजतहिद का निर्णय कि चाँद हो गया। या चाँद निकलने की इतनी सूचनाऐं मिल जायें जिससे चांद होने का विश्वास हो जाय। यह सब बातें २६ के चांद के लिए आवश्यक हैं। यदि ३० तारीख़ है तो हर दशा में चांद का होना माना ही जायेगा।

नीयत (मनन)

रोज़ा एक पूजा है और बिना ध्यान (मनन) के नहीं हो सकती। यह मनन कोई बड़े सोच विचार के बाद ध्यान में लाई हुई वस्तु नहीं है और न ज़बान पर लाए हुए शब्द बल्कि नीयत उस प्रण का नाम है जो किसी काम के करने का कारण बनता है। आख़िर आदमी रोज़े में उन वस्तुओं या कामों को क्यों छोड़ रहा है जो मना है। इसका कारण अल्लाह का हुक्म और उसकी मर्ज़ी होना चाहिए बस यही नीयत है। यह बात हर रोज़े के रखते वक्त होना चाहिए। इसलिए यह समझना कि शुरू में एक नीयत तीसों रोज़ों के लिए काफ़ी है और हर रोज़े के लिए नीयत की आवश्यकता नहीं, ग़लत है।

एक मुख्य रियायत

नियमानुसार यदि कोई कार्य कई अंगो में बटा हुआ हो या एक ख़ास समय तक क़ायम रहने वाला हो तो उसके प्रत्येक अंग को इरादे के साथ करना चाहिए। किन्तु रोज़े के संबन्ध में धर्म शास्त्र ने यह सरलता रखी है कि यदि अनिवार्य रोज़े मे मनुष्य ने कुछ खाया पिया न हो तो दोपहर के पूर्व नीयत की जा सकती है।

एक और आसानी

शाबान का २६ तारीख़ का चांद यदि निश्चित न हो सके तो ३० शाबान को रमज़ान के रोज़े के इरादे से रोज़ा नहीं रख सकता बल्कि अगर चाहे तो सुन्नत की नीयत से रोज़ा रख सकता है फिर यदि बाद मे पता चले कि यह दिन रमज़ान के महीने का था तो यह रोज़ा उसी हिसाब मे आ जायेगा। क़ज़ा रोज़ा रखने की आवश्यकता नहीं है।

रोज़ा न रखने का कफ़्फ़ारा (जुर्माना)

यदि रमज़ान के महीने में जानबूझ कर एक दिन भी रोज़ा न रखे तो पाप होने के अतिरिक्त जुर्माना भी देना अनिवार्य है और वह यह है कि साठ ग़रीबों को खाना खिलाए या दो महीने लगातार रोज़े रखे या एक गुलाम अल्लाह की राह में आज़ाद करे।

आज कल जबकि गुलामी का रवाज नहीं है गुलामो की ख़रीद व फ़रोख़्त क़ानूनी जुर्म है केवल दो पहले बयान की हुई बातें ही सम्भव हैं।

यह जुर्माना देना एक आवश्यक कर्तव्य है। और इस जुर्माना देने के बाद भी रोज़ा रखना आवश्यक है। यदि ऐसा न होता तो धनवान लोग केवल जुर्माना दे देते और रोज़ा कभी न रखते। जुर्माना देने के बाद भी रोज़े की ज़िम्मेदारी है।

यदि कोई व्यक्ति अल्लाह न करे कि रोज़ा भी न रखे और उसकी बजाय हराम काम करे जैसे शराब पिये या किसी पराई स्त्री से सम्बन्ध स्थापित करे तो ऐसे

व्यक्ति पर तीनों जुर्मानों का देना अनिवार्य है अर्थात साठ गरीबों को खाना खिलाए, दो महीना लगातार रोज़े रखे और एक ग़ुलाम भी अल्लाह की राह में आज़ाद करे। वर्तमान समय में यह इस प्रकार संभव है कि उन इस्लामी देशों में जहां ग़ुलाम बेचे जाते हैं जैसे हिजाज़ वग़ैरा वहां किसी साधन से रूपया भेज दें कि कोई वहाँ ग़ुलाम ख़रीद कर उसकी ओर से आज़ाद कर दे।

रोज़े के तरीक़े और उसके सिद्धाँत

रोज़ा मनको पवित्र करने के लिए रखा जाता है इस लिए इमामों ने ताकीद की है कि रोज़े की अवस्था में मनुष्य अपनी ज़बान, दिल और कुल इन्द्रियों को बस मे रखे। हदीस में लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे कान, आँख, शरीर की खाल यहाँ तक की शरीर का हर भाग रोज़ेदार हो। उसका अर्थ यह है कि कान उन आवाज़ों को न सुने जिनका सुनना धर्म के विरुद्ध है। आँख ऐसे दृश्य न देखे जिसका देखना मना हो। शरीर की खाल ऐसे वस्तुओं को न छुए जिसके छूने से मना किया गया है। इसी प्रकार शरीर के दूसरे भागों पर भी पाबन्दी है। अधिक स्पष्ट शब्दों में यह कि तुम्हारे रोज़े का दनि बिना रोज़े के दिन के समान न हो। एक हदीस में है- “जब रोज़ा रखो तो अपनी ज़बानों को रोके रखो, निगाहों को रोके रखो, आपस में लड़ाई न करो, एक दूसरे की ज़िद और जलन न करो।”

ख़ास तौर से इस बात का आदेश है कि रोज़े मं नौकरों पर सख़्ती न करो। पैग़म्बर साहब ने सुना कि एक महिला रोज़ा रखकर अपनी सेविका को गालियां दे रही थी हज़रत ने कहा इसके लिए खाना लाओ उस औरत ने कहा मैं रोज़े से हूँ, हज़रत ने कहा तुम कैसे रोज़े से हो? तुम अपनी सेविका को गालियां देती हो! रोज़ा केवल न खाने पीने का नाम नहीं।

इमाम जाफ़र सादिक़ (अ०) का कथन है कि “यदि रोज़ेदार के सामने कोई जिहालत से भी काम ले तो यह उसे सह ले।” दो हदीसें इस विषय की हैं “जिस रोज़ेदार अल्लाह के बन्दे को गाली दी जाए और वह कहे अल्लाह तुम्हारा भला करे मैं तुम्हें इन प्रकार के शब्द न कहूंगा जैसे तुम ने मुझे कहे तो अल्लाह कहता है कि मेरे बन्दे ने दूसरे व्यक्ति की शरारत के मुक़ाबले में रोज़े का शरण लिया है। अब मैं इसके दण्ड से इसको शरण दूंगा। इसे स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दी जाये।”

एतिक़ाफ़ (व्यक्तिगत् तपस्या)

नीयत के साथ तीन दिन बराबर रोज़े रख कर मस्जिद में ठहरे रहने को एतिकाफ़ कहते हैं यह हर समय में पुण्य का काम है किन्तु मुख्य रूप से रमज़ान के महीने के अन्तिम दस दिनों मं इसका बहुत सवाब है।

एतिकाफ़ के लिए ज़रूरी है कि नगर की जुमा मस्जिद में हो, इस समय में उसको मस्जिद से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं है। किन्तु किसी ऐसी आवश्यकता के लिए निकल सकता है जो पुण्य से सम्बन्धित हो और जिसकी पूर्ति बिना मस्जिद से बाहर निकले असम्भव हो जैसे किसी जनाज़े के साथ जाना या किसी मोमिन भाई की आवश्यकता का पूरा करना किन्तु जब मस्जिद से बाहर निकले तो किसी छायादार स्थान पर न बैठे और मस्जिद के बाहर नमाज़ न पढ़े दो दिन तक अपनी मर्ज़ी से एतिकाफ़ को तोड़ सकता है किन्तु तीसरे दिन एतिकाफ़ अनिवार्य हो जाता है। और यदि एतिकाफ़ किसी मन्नत के कारण अनिवार्य था तो पहले और दूसरे दिन भी उसका तोड़ना उचित न होगा।

एतिकाफ़ की अवस्था में स्त्री भोग (चाहे रात ही में क्यों न हो) मना है। इसके अतिरिक्त ख़रीदना व बेचना, किसी से अपने स्वार्थ के लिए झगड़ना, ख़ुश्बू सूँघना सब कुछ मना है।

यह सब बातें ऐसी हैं जो मनुष्य में सहनशीलता पैदा करती हैं और उसको न्यायपूण्र जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देती हैं। (.......जारी)

ज़िन्दगी का सिस्टम

आयतुल्लाहिलउज़मा सैय्यिदुलउलमा सै० अली नक़ी नक़वी ताबा सराह
सम्पादनः नूरे हिदायत फ़ाउन्डेशन

क़िस्त–4

बालिग़ होना या इन्सानी ज़िम्मेदारी का वक़्त

बच्चे की शिक्षा और पालन पोषण हो चुकी, उसे ज़रूरी शिक्षा दे दी गयी, उस के चाल चलन को सुधारा गया, उनमे इबादत व भक्ति का चाव पैदा किया गया और लड़कियों को ठीक तरीक़े पर उनकी ज़िन्दगी के क़ानून का आदी बना दिया गया। मगर अभी वह बालिग़ नहीं है, इस वक़्त में एक तरफ़ वह शरीयत के हुक्म पर चलने से छूट मिली हुई हैं यानि गुनाह उनके खाते में नहीं लिखे जाते। अगर ये सवाब के बारे में मैनें कहा है कि अगर इन में खुद इबादत व भक्ति का चाव पैदा हो गया है तो उन्हें सवाब पाने का हक़ हासिल है। सवाब व अज़ाब (इनाम व सज़ा) के मसले में इस फ़र्क़ की मुझे एक गवाह हदीसों में भी मिल गया। इमाम जाफ़र सादिक़ (अ०) फ़रमाते हैं, "मुसलमानों की औलाद खुदा के यहाँ नामज़द नामित है, वह अपने माँ बाप की शफ़ाअ़त/सिफ़ारिश करने वाले हैं और उन्हें सिफ़ारिशी बनाया गया है। इसके बाद जब १२ साल की उम्र हो तो उनके लिए पुण्य/नेकियाँ लिखी जाती हैं और जब बालिग़ हो तो गुनाह लिखे जाते हैं।" इसमें जो उम्र बतायी गयी है वह वैसी ही है जैसे सिखाने सुधारने के लिए सात साल की जिस को मैने कहा कि यह निश्चित और अटल जैसी नहीं है बल्कि लगभग है। उसी तरह यह भी मतलब है कि शुरू में ६-७ साल की उम्र में जब से बताने, सिखाने और इबादतों की आदत डालने का हुक्म हुआ उस वक़्त इनमें ज़्यादा वह ख़याल विचार उनके दिमाग़ में बैठे नहीं होते कच्चे होते हैं और न ही उन्हे इतनी समझ और पहचान ही होती है कि वह इबादत को भक्ति समझ कर करें। इसलिए जिस तरह उन पर गुनाह नहीं है, उसी तरह सवाब भी इनके लिए नहीं है, लेकिन इसके बाद कुछ समय में वह ज़माना आ जाता है जब वह इबादत को इबादत की तरह कर सकते हैं। ये सिखाना शुरू करने की उम्र यानि ६ या ७ साल की उम्र और बालिग़ होने का वक़्त यानि १५ साल के बीच का एक वक़्त है, इसलिए उसके लिए १२ साल की उम्र अन्दाज़े के तौर पर बतायी गयी है।

बालिग़ होने से पहले की उम्र में वह वाजिब और हराम की ज़िम्मेदारी के बोझ से हल्के रखे गये हैं। क्योंकि उनकी समझ अभी पक्की नहीं हुई है, इसके अलावा इनके माल और मिलकियत में उनका इस्तेमाल व दख़ल जारी नहीं है। मिल्कियत को हासिल करना तो बालिग़ होने पर निर्भर नहीं है। दूध पीता हुआ बच्चा, बल्कि जब वह माँ के पेट में था, उसके लिए भी स्वामित्व (मालिक होने) नहीं पा सकता था, जैसे अगर कोई इसका नज़दीकी रिश्तेदार मर जाए जिसकी मीरास (छोड़े हुये माल या जायदाद में हिस्सा) का उसे हक़ मिला हुआ है, तो उसका हिस्सा अलग किया जाएगा। जब वह ज़िन्दा पैदा हो तो उसके लिए वह मीरास रखी जाएगी। मगर स्वामित्व या मिल्कियत में से उसका अधिपत्व (कन्ट्रोल) उस वक़्त तक सही नहीं जब तक वह बालिग़ न हो जाए। ये भी उन्हीं के फ़ायदे के लिए है, इसलिए कि नासमझी और भोलेपन में न मालूम कौन सा ऐसा इस्तेमाल कर दें, जो उनके लिये नुक़सान देने वाला हो। जिस पर बाद में उन्हें पछताना पड़े। माली अलावा उनके दूसरे मामले जैसे निकाह वग़ैरह भी भरोसे के नहीं ठहराये गये हैं। बेशक इन सब बातों के लिए उनके वली (अभिभावक) बनाये गये हैं जो उसूल के आधार पर उनके फ़ायदे की देखभाल (हित रक्षा) खुद उन से ज़्यादा कर सकते हैं, यानी उनके बाप और दादा। इस बारे में उन पर यह ज़ोर दिया गया है कि वह बच्चे के फ़ायदे का ध्यान रखें। मगर उनको इस मामले में उनके बड़कपन का लेहाज़ करते हुए एक तरह की हुकूमत दी गयी है, यानी वह अपनी नेक सलाह व सूझबूझ से जो काम उस बच्चे के लिए कर दें उनको मिटा देने का

इसको बालिग़ होने के बाद भी हक़ नहीं है। इन दोनों में से अगर दोनों हैं तो हर एक मुस्तक़िल तौर पर सरपरस्त है। और अगर ऐसा हो जाए कि दोनों एक दूसरे से टकराते काम दें, यानि एक ने उस मिल्कियत को किसी दूसरे के हाथ बेच दिया और ना जानने की वजह से दूसरे ने किसी और के हाथ तो जिसने पहले बेचा वह सही समझा जाये, दूसरा का काम बेकार समझा जाएगा। अगर इत्तेफ़ाक़ से ये इस्तेमाल एक साथ हो जाए तो दादा का हुक्म बाप के ऊपर होगा क्योंकि दादा के हुक्म पर चलना बाप पर वाजिब है।

बेशक तलाक़ का मसला शरीयत ने इतना नाज़ुक ठहराया है कि इस का हक़ पति के अलावा के सिवा और किसी को नहीं है "तालाक़ उसी के हाथ में है जो हाथ पकड़ेगा"। इसलिए बाप दादा भी अपने वली होने के नाते अगर बच्चे का निकाह करें तो फिर वह उसे 'तलाक़' नहीं दे सकेंगे। नाबालिग़ रहते हुए ही बाप के उठ जाने से इन्सान यतीम या यतीम होता है, और बालिग़ होने के बाद यतीमी की हदें ख़त्म हो जाती हैं और फिर उसे यतीम नहीं कहा जा सकता।

बालिग़ होने के लिए शरीयत ने दो तरह से हद बनायी है: एक उम्र के हिसाब से यानि लड़के को १५ साल पूरे हो जाएं और लड़की को ६ साल। दूसरे हालात के लेहाज़ से यानि मर्द और औरत दोनों में वह बातें पैदा होना जिन से ग़ुस्ल (नहाना) वाजिब हो जाता है।

ये बात ग़ौर करने के वाली है कि बालिग़ होने की बात शरीयत का एक हुक्म है, जिसका नतीजा शरीयत के हुक्मों का लागू होना है। क्योंकि शरीयत के एहकाम सिर्फ़ वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह, जाएज़-नाजायज़ ही को नहीं कहते, ये तो धर्म की भाषा में "एहकाम-ए-तकलीफ़ियाँ" हैं ही लेकिन इनके अलावा भी शरीयत के बहुत से हुक्म हैं, जैसेः नजिस, पाक, निकाह, मालिक होना वग़ैरह-वग़ैरह। इनको 'एहकाम-ए-वज़ईया' (बनाव के) कहते हैं, ये भी शरीयत की तरफ़ से ठहराये जाते हैं। कहा जा सकता है कि बालिग़ होने की बात भी इसी तरह का एक शरीयत का हुक्म है, ऐसे में ज़ाहिर है कि इसका अख़्तियार बिल्कुल शरीयत के हाथ में है। वह जिस चीज़ पर चाहे उस पर हुक्म लगा सकती है। दूसरी सूरत ये है कि वह एक होनी है जिस पर शरीयत की तरफ़ से हुक्म रखे गये हैं और उन हालात का पैदा होना इसे पाने की निशानी है। ऐसे में यह एतराज़ पैदा होता है कि शरीयत की तरफ़ से इसके लिए दो हदें रखा जाना कहाँ तक सही हैं, जबकि वह दोनों बिल्कुल एक दूसरे से लगी बन्धी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से अलग भी हो जाती हैं। इसके अलावा हवा-पानी, स्वभाव वग़ैरह के लेहाज़ से बच्चे की ख़ासियते अलग-अलग होती हैं। किसी में १४ साल की उम्र में ही वह बात व कन्डीशन पैदा हो जाती है जो दूसरे में १५ साल में होती है और किसी में १६ साल की उम्र में भी ये हालत पैदा नहीं होती। ऐसे में शरीयत की तरफ़ से सबके लिए एक उम्र निश्चित हो जाना कहाँ तक सही है।

इस का जवाब मैं इस तरह पेश करूँगा कि कोई हुक्म जो दिया जाता है इसकी दो सूरतें हो सकती है : एक ये कि कोई एक ख़ास व्यक्ति हो जिससे बात कही जाए और उसके ख़ास हालात की बुनियाद पर उसके ज़िम्मे कोई फ़र्ज़ लागू किया जाए। ज़ाहिर है इस सूरत में तो सिर्फ़ उसी की ख़ासियते और उसके ज़ाती हालात ही उस हुक्म को लागू करने के लिए आधार होगें और वह बिल्कुल निश्चित और एक होगें। इसी तरह अगर कुछ लोगों की तरफ़ हुक्म लागू किया जाए मगर उनकी अपनी अपनी खासियतों के लेहाज़ के साथ उस सूरत में ज़रूरी है कि अगर उन के हालात एक जैसे हों तो एक हुक्म सबके लिए लागू किया जाएगा और अगर इनके हालात अलग-अलग हों तो हर एक के लिए उसी के लेहाज़ से हुकम होंगे, और सबके लिए अलग-अलग हुक्म होंगे। लेकिन दूसरी सूरत ये है कि मक़सद, एक आम (General) क़ानून का लागू करना है, जिसमें लोगों की ख़ासियतों का कोई सवाल ही नहीं है, इस सूरत में अगर उन के हालात आपस में अलग अलग हैं तो उन सबके हालात की एकजुट की तरह (Collectively) सामने रख कर जो बात ज़्यादा में है (Probability) या उनका औसत (Averge) निकाला जायेगा और उसी के हिसाब से हुक्म लागू किया जाएगा। इसमें फिर ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि किसी में यह बात पहले हो जाती है और किसी के अन्दर बाद में। मिसाल के तौर पर सरकार की तरफ़ से ज़मीदारों की जायदाद/सम्पत्ति

ज़ब्त कर लेने के बारे में २२ साल की उम्र तय की गयी है, ज़ाहिर है कि उसके लिए कोई न कोइ आधार और उसूल सामने ज़रूर था, यानि २२ की गिनती से कोई ख़ास प्यार नहीं था। न उसका मक़सद इस गिनती से कोई शगुन था, मगर ये बिल्कुल सही है कि वह मेयार (मानक/Standard) हर एक के लिए ठीक २२ ही साल में पूरा नहीं होता है, बल्कि किसी के लिए पहले होता है किसी के लिए बाद में। लेकिन फ़िर भी क़ानूनी हैसियत से आम बात (Generlization) करने के लिए एक उम्र का रख देना ज़रूरी समझा गया। इसी तरह शारदा ऐक्ट में शादी के लिए जो १६ और १८ साल की उम्र रखी गयी है, वह चाहे हमारे हिसाब से ग़लत हो लेकिन फ़िर भी किसी न किसी मान लिये गये मानक (Standard) के आधार पर रखी गयी है। वह मानक बस इतनी ही उम्र में सबके ऊपर बिल्कुल एक जैसा नहीं उतरता। मगर क़ानून का अन्दाज़ ही ये होता है कि इस पर एक, एक में फ़र्क़ का असर न पड़ सके।

अब ग़ौर कीजिए कि वह हालात, जो अस्ल में बालिग़ होने की के लक्षण तय किय गये हैं वह चूँकि अन्दर की चीज़े हैं, और ज़्यादातर ऐसी बातें हैं कि जब तक खुद इन्सान इसको न बताये तब तक इसकी जानकारी नहीं हो सकती, अब अगर सिर्फ़ इन्हीं को बालिग़ होने का मेयार बनाया जाता तो अक्सर उसमें ध ोखा हो जाता। और कभी-कभी तो बीमारियों की वजह से वह हालात पैदा नहीं होते या बहुत ज़्यादा उम्र में सामने आते हैं। इसलिए ज़रूरत थी कि इनके अलावा भी कोई मेयार रखा जाए, जिसका समझना आसान हो, इसके लिए बालिग़ होने की एक उम्र रख दी गयी। अब अगर उन दूसरी बातों की जानकारी इस उम्र के पहले ही हो जाए तो वही सुबूत बालिग़ होने के मान लिए जाने के लिए काफ़ी होंगे और अगर बालिग़ होने के लिए बताई गई उम्र में पहुँच गया तो चाहे वह हालात पैदा हों या न हों, शरीयत की तरफ़ से बालिग़ मान लिया जाएगा और उस पर बालिग़ के हुक्म/आदेश लागू होंगे।

बालिग़ होने के बाद की अहम जिम्मेदारियाँ

बालिग़ होने के बाद इन्सान की ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं जिनको दो हिस्सों में बाँटा जा सकता है : (१) विश्वास या मानने के उसूल (२) करने वाले फर्ज़ (कर्तव्य)। इस दूसरे हिस्से मे फिर दो क़िस्में हैं - (अ) अल्लाह का हक़ यानि इन्सान के अकेले फ़ज़ (ब) लोगों के हक़ या समाजी कर्तव्य इन पर सिलसिले से रौशनी डाली जाए।

ज़िन्दगी के सिस्टम में धर्म की अहमियतः

इन्सान की ज़िन्दगी में विश्वास (मानना) की बड़ी अहमियत है। मज़हब ही वह है जो दुनिया में चैन, शान्ति की वजह बन सकता है, और अलग-अलग गुटों वर्गों में हक़ व अधिकारों और हदों को तय (निर्धारित) करता है। बात ये है कि हर इन्सान ऊँचाई और बड़ाई चाहता है और अपनी इच्छाओं को पाना करना चाहता है और हर इन्सान की इच्छा बेहद हैं। यहाँ तक कि अगर एक इन्सान को पूरी दुनिया भी मिल जाए तो वह चाहेगा कि एक दूसरी दुनिया हो जिसे वह अपने क़ब्ज़े में ले आए मगर दुनिया और इसके फ़ायदे सीमित हैं, इसलिए अगर एक इन्सान को वह सब कुछ दे दिया जाए जिसे वह पाना चाहता है तो दूसरे सब को ख़ाली हाथ होना पड़ेगा और अगर सब को अपनी-अपनी बेहद चाहतों के पा लेने के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाए तो आपस में टकराव होगा और ताक़तों की मुठभेड़ होगी। जिस में हर ताक़त वाला कमज़ोर को मिटा देने की कोशिश करेगा। फिर अगर ये ताक़त और कमज़ोरी कोई हमेशा रहने वाली होती तो अच्छा होता कि एक बार मुक़ाबला होकर फ़ैसला हो जाता। जो ताक़त वाला होता वह ज़िन्दा रहता और जो कमज़ोर होता वह मिट जाता मगर ये दुनिया की ताक़त और कमज़ोरी हवा के झोंकों और झूले के पेन्गों की तरह इधर उधर होती रहती है। एक समय जो ताक़तवाला है वह दूसरे में कमज़ोर हो जाता है और एक वक़्त जो कमज़ोर है वह दूसरे वक़्त में ताक़तवाला होता है। अब जिस शख़्स ने अपनी ताक़त के वक़्त दूसरे कमज़ोर पर ज़्यादती की वह उस कमज़ोर के दिल में रह जाती है और वह मौक़े के ताक में रहता है, जब उसको ताक़त मिल जाती है तो वह उस का बदला लेता है।

मिसाल के लिए एक हट्टा-कट्टा जवान अपने रास्ते में एक कमज़ोर बच्चे को देखता है और उसे ध

क्का देकर हटा देता है। ये इस वक़्त एक आम बात थी और उसके लिए आसान, मगर याद रखना चाहिए कि एक वक़्त में ये जवान बूढ़ा होगा और वह बच्चा जवान होगा, अगर उस ने यह एहसास दिल में बाक़ी रखा कि मेरी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर इस शख़्स ने मुझ पर ज़्यादती की थी तो वह अपनी ताक़त के वक़्त में इस शख़्स से बदला लेने की कोशिश करेगा। अब हो सकता है कि वह बूढ़ा आदमी चीख़े-चिल्लाए और मदद के लिए पुकारे भी, कि मैं मज़लूम पीड़ित हूँ, ये जवान आदमी मुझे मारे डालता है और उस बात को ना जानने वाले या सीधे व भोले-भाले लोग इस बूढ़े की बात का असर लें। मगर सच्चाई ये है कि आप इसकी मज़लूमियत या पीड़ा एक वक़्त के ज़ालिम या अत्याचारी होने का नतीजा है। दुनिया में इस तरह की मिसालें सामने आती रहती हैं। जिस वक़्त आपके हालात अच्छे थे, और ताक़त आपके साथ, तो दुश्मन को कमज़ोर पाकर आपने समझौते के शिकन्जे में इस को जकड़ के इसके माल पर क़ब्ज़ा कर लिया और लावारिस माल की तरह अपने दोस्तों में बाँट दिया। लेकिन जब वह दुश्मन समय पाकर, अपनी ताक़त को बढ़ा कर, अपने पिछले हथियाये गए माल को माँगता है, यानि अपने हक़ को पाने के लिए दावा करता है, और अब हो सकता है कि वह बदले के जोश की वजह से अपने दुश्मनों के ऊपर कुछ ज़्यादती भी कर रहा हो, तो आप गुहार लगातें हैं कि हम पर ज़ुल्म हो रहा है, हम मज़लूम हैं सताये हुये हैं और हमदर्दी के लायक़ हैं और दुनिया भी कहती है कि, हाँ बेशक ये मज़लूम सताये हुये है।

बात यह है कि इन्सान आज को देखता है और वही उस के दिल-दिमाग़ पर असर डालता है और बीता हुआ कल व आने वाला कल चूँकि उसकी आँखों से ओझल हैं, इसलिए उनका असर नहीं पड़ता। उस वक़्त जो भी ज़्यादती कर रहा होगा जल्दी भूलजाने वाले दुनिया के लोग उसी को ज़ालिम कहेंगे, हालाँकि ये देखना ज़रूरी है कि इस ज़ुल्म की वजह क्या हैं। फिर अपने मक़्सद को पाने के अन्दाज़ अलग-अलग होते है, कोई तो नंगी तलवार लेकर सामने आ जाता है और कोई आस्तीन मे छूरी छिपा कर अपने दुश्मनों के सामने आता है। बहरहाल अलग-अलग गुटों की ख़ुदगर्ज़ी और ऊपर रहने की चाह और अपने हक़ को पाने की माँग, हमेशा आपस में टकराव और खींच तान की वजह बनी रही है और रहेगी, क्योंकि इन्सानी ख़्याल के लेहाज़ से उसका हक़ भी उसकी चाहतो के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे जिस चीज़ की चाह है वह उसी को अपना हक़ समझता है और उसी को पूरा करना चाहता है। ऐसे में सब को उनका हक़ नही मिल सकता और सब को पूरी आज़ादी नही हो सकती है। अब एक सूरत ये है कि एक को पूरी आज़ादी दे दी जाए और दूसरों को क़ैद कर दिया जाए, मगर ये वही कर सकता है जिसको इस एक के साथ कोई तरफ़दारी और रिश्तेदारी हो, बहरहाल अक़्ल और इन्साफ़ की रौशनी में ये सूरत क़ुबूल करने वाली नहीं है, दूसरी सूरत ये है कि सबके हिस्से बाँट की आज़ादी हो और सबका हक़ किसी ऊपरी ताक़त की तरफ़ से बाँट दिया जाए, जिस की वजह से आपस में टकराने की गुन्जाइश ख़त्म हो जाती है मगर ये बँटवारा और करे कौन? और कौन हिस्सा लगाये क्योंकि दुनिया में अलग-अलग तरह से अलगाव है और कोई आदमी भी हो उसे किसी एक इन्सान या गुट से ज़्यादा लगाव और दूसरों से कम लगाव होना ज़रूरी है और इस लेहाज़ से तरफ़दारी की गुन्जाइश पैदा हो जाती है। फिर हर गुट की जरूरतें और उनके हक़ की बराबर से किसी को जानकारी नहीं हो सकती, इसलिए ज़रूरत है कि हद और हक़ तय करने वाली एक ऐसी हस्ती हो जिसका लगाव सब इन्सानों से एक जैसा हो। अब उसी की तरफ़ से लागू किया गया क़ानून ऐसा हो सकता है कि सब एक तरह से उस पर चले और वही क़ानून कि जो सबके लिए आज़ादी की 'हद' को तय कर दे, उसी का नाम 'मज़हब' है और उसका लागू करने वाला, 'ख़ुदा' है, जिसका ताल्लुक़ पूरी दुनिया के साथ एक जैसा है।

मज़हब ज़मीर (अंतरात्मा) और दिल पर राज करता है और दिल का राज जिस्म के सारे हिस्से यानी हाथ, पैर, आँख, नाक, कान वग़ैरह पर है, इसलिए सारे इन्सान के काम और अ़मल हदों और बन्धनो के तले पूरा करते हैं।

मज़हब से अलग होकर हम किसी ताक़तवर

से ये माँग करने का हक़ नहीं रखते कि वह अपनी ताक़त से फ़ायदा न उठाये, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ फ़ायदा उठाने के लिए है और फ़ायदा जो कुछ है वह इसी दुनिया का थोड़ी देर का फ़ायदा होता है। एक आदमी जिसके बाज़ू में ताक़त है, तलवार में धार है, सामने कमज़ोर है और इसे पॉव तले रौंदने से एक बहुत बड़े फ़ायदे की उम्मीद है, अब वह ताक़तवर किस सहारे पर अपना हाथ रोके और किस उम्मीद पर अपने मक़्सद को पाने से पीछे हट जाए ? मगर मज़हब वह है जो इन्सान के रोबदाब, हुकूमत के जोश और बड़ाई के घमन्ड को तोड़ देता है, वह इन्सान की निगाह को ऊँचा करता है, और उस वक़्ती फ़ायदे के आगे एक दूसरी हार-जीत ख़्याल पैदा करता है। अब मज़हब ही के सहारे एक ताक़तवर इन्सान ताक़त के नाजाएज़ इस्तेमाल से पीछे हट जाता है और कमज़ोर लोगों को साँस लेने का मौक़ा मिल सकता है।

मज़हब दुनिया में अमन चैन और सामूहिक (Social) सिस्टम के बाक़ी रहने का अकेला ज़िम्मेदार है। ये और बात है कि दुनिया में मज़हब ही के नाम पर दंगे और बवाल हो और लड़ाई-झगड़ा ख़ड़ा किया जाए, मगर मज़हब इसका जिम्मेदार नहीं हो सकता, न उसकी वजह से मज़हब ख़त्म किये जाने के लायक़ है। ये तो अपनी निगाह की ग़लती होगी कि इन्सान नक़ली और असली में फ़र्क न कर सके। इन्सान अगर इमीटेशन पत्थर से धोखा खा जाए तो हीरे को बुरा न कहे बल्कि अपनी निगाह की कमज़ोरी मान ले। जैसे किसी चीज़ पर सिर्फ़ सोने का पानी चढ़ा हो और उसे आप असली सोना समझ लें, इसी तरह अगर मज़हब के नाम से किसी धोखे के जाल में फँस जाएँ तो मज़हब की शिकायत न करें बल्कि अपनी गलती करने वाली निगाह की कमी समझे।

इन्सान को चाहिए, कि सोचे, समझे और ग़ौर करे, देखे कि कौन सा मज़हब सही है और कौन ग़लत। कौन सी आवाज़ जो मज़हब के नाम से उठाई गयी, सच्चाई की बुनियाद पर है और कौन इमीटेशन, चलत्तर और धोखेबाज़ी पर।

इसीलिए सच्चाई की खोज का दरवाज़ा सबके लिए खुला रखा गया है, और किसी के लिए सिर्फ़ बाप-दादा के रास्ते पर चलना और उनके अपनाये हुए पंथ धर्म की लाज को, ज़िम्मेदारी से हल्का होने के लिए काफ़ी नहीं समझा गया है।

दूसरा अध्याय

विश्वास माननाः

इसलामी विश्वास का असर कर्म परः

आदमी जो कुछ करता है वह सोच और मानसिकता/मेन्टलिटी के हिसाब से करता है उसके विचार और विश्वास स इस्लाम ने जो मानने को कहा है वह सब ऐसे हैं कि जो इन्सान को इन्सान वाला बनाते हैं और उस के काम में ऊँचाई और अच्छाई पैदा करते हैं।

तौहीद (ईश्वर को एक मानना) :

मानव के लिए मज़हब की तरफ़ से जो सबसे पहला तोहफ़ा है वह ख़ुदा को एक मानने का है, इसकी वजह से सभी इन्सान एक रंग में रंग जाते हैं और एक हालत में डूब जाते हैं । इन्सान जूट समूह में तरह तरह से अलगाव है और इसलिए एक वर्ग दूसरे को नीच समझता है। इनमें आपस में मोहब्बत नहीं होती क्योंकि किसी चीज़ में वह अपने को दूसरों के साथ एकजुट नहीं सोचते, लेकिन अगर यह समझ पैदा हो जाए कि हम सब एक ही ख़ुदा के बन्दे (दास) हैं तो सब एक दूसरे के साथ अपना पन और एकता का एहसास करने लगें ।

दुनिया में ताक़तवर कमज़ोर पर इसलिए हाथ उठाता है क्योंकि वह अपने से ज़्यादा ताक़तवर किसी को नहीं समझता और कमज़ोर का दिल इसलिए टूट जाता है क्योंकि वह अपने पीछे किसी को मदद करने वाला नहीं देखता। ख़ुदा को एक मानना ताक़तवर के घमण्डी सर को झुका देता है और उसके दिल में एक छिपी हुई ताक़त का डर पैदा करता है और कमज़ोर की निगाह को उठाता है, और उसके दिल में आस की लहर पैदा करता है। इसका नतीजा ये होता है कि अलग-अलग ताक़तों का पल्ला बराबर (सन्तुलित) हो जाता है और इस जीवन की खींचतान में कमज़ोर भी ताक़तवर के साथ कोशिश के क़दम उठाता है ।

एक ख़ुदा को मानने से बेकल दिल को चैन, टूटे हुए दिल को आसरा, निराशों में ढारस मिलती है, वस्तुवादी की ज़िन्दगी एक ऐसी नाव है जिसका कोई किनारा नहीं है मगर ख़ुदा के भक्त की नाव कितने ही तूफ़ान में हो और थपेड़ों में करवटें ले रही हो, मगर फिर भी वह उम्मीद से भरी है क्योंकि नाव के लिये एक किनारा है और उसका एक खेवनहार है और वह परदे में छुपा हुआ ख़ुदा है।

ख़ुदा का ज्ञानः

फ़िलास्फर और वैज्ञानिकों ने ख़ुदा के ज्ञान को आम सूत्रों के साथ सीमित कर दिया है इसलिए कि किसी बात के तमाम पहलुओं में बदलाव होता रहता है उनके मुताबिक़ ख़ुदा की ज़ात में भी बदलाव ज़रूरी होगा। ये दलील ग़लत है क्योंकि मालूमात के बदलने से ज्ञान में बदलाव ज़रूरी नहीं है, और इसलिए ईश्वर की ज़ात में भी बदलाव होना ज़रूरी नहीं बनता, बहरहाल हमारे मज़हब की शिक्षा इससे अलग है ।

मजहब कहता है ख़ुदा को हर छोटी से छोटी चीज़ को जानता है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली(अ०) ने 'नहजुल बलाग़ा' में इस को जिस तरह बयान किया है, वह एक ऐसा अन्दाज़ जो दिमाग़ में इस सच्चाई को बिल्कुल बिठा देता है। वास्तव में तो ये सिर्फ़ एक वाक्य है कि "ख़ुदा हर बात का जानने वाला है मगर इसको सिर्फ़ सुन लेने से दिल-दिमाग़ पर वह असर नहीं पड़ता तो प्रयोग और विश्लेषण (Experiment and Analysis) से मामूली और बिल्कुल छोटी चीज़ों को विस्तार के साथ बयान करने पर पड़ता है।

"अबुल अइम्मा के तालीमात" (इमामों के पिता की शिक्षाऐं) रिसाले में जो इमामिया मिशन से छापा गया है, अमीरुल मोमिनीन (अ०) के वह क़ौल (सूक्तियाँ) लिखे गये हैं। ख़ुदावन्दे आलम के ज्ञान व ख़बर के एहसास से इन्सान की अ़मली (काम वाली) ज़िन्दगी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है ।

ग़ौर करने पर मालूम होगा कि गुनाह पाप के लिए इन्सान को प्राकृतिक रूप से एक चाह होती है कि इन्सान मामूली-मामूली आदमियों से छिपता फिरता है कि उसको गुनाह करते देख न ले, अगर वह अपने जुर्म का कहीं बयान सुन लेता है तो दिल धक से हो जाता है और चेहरे पर हवाईयां उड़ने लगती है। ये उन लोगों की बात है जिनमें गुनाह का एहसास बाक़ी हो और गुनाह को फ़ख़्र के साथ न करते हों, ख़ास तौर से उस इन्सान से जिसका जुर्म हो उससे तो बहुत ज़्यादा छिपने की कोशिश करता है, किसी को हम बुरा कह रहे हों और वह आता हुआ दिख जाए तो फ़ौरन ज़बान को रोक लेंगे चुप हो जाएंगे कि कहीं उसको पता न चल जाए, शर्त यह है कि उस आदमी का कुछ भी लेहाज़, बड़ाई और इ़ज़्ज़त इसकी निगाह में हो, फिर जब मामूली लोगों का यह हाल हो तो अगर किसी को इस बात का निश्चय हो कि ख़ुदा है जो उसके कामो को देख भी रहा है और हर वक़्त वह उसके कामों की देखरेख कर रहा है और उसकी ज़रा-ज़रा सी बात वह जानता है तो क्या यह हो सकता है कि इन्सान गुनाह भी करें ।

इसी बुनियाद पर ख़ुदा ने क़ुर्आन मजीद में अपने ज्ञान का बयान ज़्यादातर इन्सान के कामों ही को लेकर किया है जैसे-"बेशक अल्लाह देखता है वह जो लोग करते हैं। बेशक जो लोग करते हैं अल्लाह देखता है। बेशक अल्लाह जानता है जो लोग करते हैं।" और इन्सान की छिपाने की ख़्वाहिश को कि वह अपने गुनाह को दूसरे इन्सानों से छिपाता फिरता है, को बयान करते हुए कहा गया है : "ये लोग इन्सानों से छिपते फिरते हैं, और अल्लाह से नहीं छिपते, जबकि वह उनके साथ होता है, जबकि वह रातों को ऐसे मशवरे करते हैं जो ख़ुदा को पसन्द नहीं अैर ख़ुदा उनके कामों से पूरी तरह अवगत है"।

दुनिया के हर हिस्से में दूसरों को छल कपट, बेईमानी, सताना, चोरी, बलात्कार, इन सब की वजह ये है कि इन्सान अपने दिल से सचमें ख़ुदा को हर जगह मौजूद सर्वव्यापी और सर्वदर्शी नहीं समझता । अगर पूरी दुनिया के दिमाग़ में यह बात बैठ जाये कि ख़ुदा हर जगह मौजूद है और सब कुछ देख रहा है तो दुनिया सुख-चैन और शान्ति का पालना बन जाये और हर तरह की बुराईयाँ और कुकर्म बन्द हो जायें ।

(..........जारी)

मुख्य समाचार

क़ायदे मिल्लत मौलाना कल्बे जवाद साहब की हिमायत में लखनऊ में एहतिजाजात, यौमुल कुद्स

मुसलमानों के मुख़्तलिफ़ मसाएल को लेकर क़ायदे मिल्लत मौलाना कल्बे जवाद साहब ने सूबाई हुकूमत से कई मुतालबात काफ़ी दिनों क़ब्ल किये थे जिसे पूरा होने में हद दर्जा ताख़ीर से नाराज़ होकर दरगाह हज़रत अब्बास[अ०], इमामबाड़ा सिब्तैनाबाद और इमामबाड़ा आसफ़ी समेत लखनऊ में कई एहतिजाजात हुए और क़ायदे मिल्लत ने ५ जुलाई सन् २०१२ मुताबिक़ १५ शाबान १४३३ हि० को जुमे की नमाज़ की इमामत से इस्तिफ़ा दे दिया। जिसके रद्दे अमल में उनके चाहने वाले हज़ारों लोग भूख हड़ताल पर बैठ गये और जुमा की नमाज़ के बाद मोमिनीन जुलूस की सूरत में क़ायदे मिल्लत के शरीयत कदा पर आकर नमाज़े जुमा पढ़ाने के लिए इसरार करते रहे। आख़िरकार रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी जुमा में उलमा, मोमिनीन के पुरखुलूस इसरार पर उन्होंने अपना इस्तिफ़ा वापस लेते हुए जुमातुल-विदा की नमाज़ पढ़ाई। जुमातुल-विदा के ख़ुत्बे में क़ायदे मिल्लत ने हज़ारों मोमिनीन के मजमे से ख़िताब फ़रमाया और कहा कि अगरचे यू०पी० सरकार से हमारे मुतालेबात अभी तक पूरे नहीं हुए हैं मगर अपने चाहने वालों की ख़्वाहिशात के एहतिराम में इमामते नमाज़े जुमा दुबारा शुरू कर रहा हूँ। और २८ रमज़ान-उल-मुबारक १४३३ हि० को बाद नमाज़ जुमा आसफ़ी मस्जिद में ही नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन के ज़ेरे एहतिमाम इण्टरनेशनल यौमे क़ुद्स मनाया गया। जिसमें उलमा, मुक़र्रेरीन ने तक़रीरें फ़रमाईं इख़्तितामी तक़रीर क़ायदे मिल्लत मद्ज़िल्लहू ने फ़रमाई जिसमें अमरीका व इस्राईल के घिनौने कारनामों पर मौसूफ़ ने रौशनी डाली। जुमातुल विदा को ही शब में छोटा इमामबाड़ा हुसैनाबाद में भी क़ायदे मिल्लत की सरपरस्ती में यौमुल क़ुद्स मनाया गया जिसमें फ़िलस्तीन के बेगुनाहों पर अमरीका और इस्राईल के मज़ालिम की पुरज़ोर मज़म्मत की गई। मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस की रिहाई के लिए दुआऐं की गईं।

अवाम का राज यानी शिवराज

जी हाँ ये मिसाल हमारे मुल्क में अगर कहीं हक़ीक़त में नज़र आती है तो सिर्फ़ सूबा मध्य प्रदेश में, जहाँ राजा और प्रजा का फ़र्क़ ख़त्म हो गया है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वह हैं हमारे मुख्यमंत्री जनाब शिवराज सिंह चौहान जी। आज मध्य प्रदेश तरक़्क़ी याफ़्ता और सर बुलन्द है यहाँ हर क़िस्म का फ़र्क़ मिट चुका है, रंग व नस्ल, अमीर व ग़रीब, धर्म व मज़हब और ज़ात-पात ग़रज़ हर तरह की समाजी बुराई मिट चुकी हैं। हर एक को एक नज़र से देखा जाता है और सबसे बड़ी ख़ूबी ये है कि आम और ख़ास का फ़र्क़ भी ख़त्म हो गया है। ऐसा महसूस होता है जैसे शिवराज जी ख़ुद भी एक आम आदमी हैं। अवाम ऐसा महसूस करती है कि शिवराज जी भी बस हम जैसे हैं, समाज का हर तबक़ा उनसे मुहब्बत करता है और वह समाज के हर इन्सान से। आप के शबो रोज़ अवाम के बीच ही गुज़रते हैं। आप बस अवाम की ख़िदमत में लगे रहते हैं। ख़ास तौर पर आपने लोगों की सियासी सोच और फ़िक्र को भी बदल डाला है। किसी तरह का कोई ख़ौफ़ व ख़तरा नहीं है, बुराई का नाम नहीं है। क़ानून पर सख़्ती से अमल दर आमद होता है। आपसे अवाम और अवाम से आप आसानी से मुलाक़ात करते हैं और एक दूसरे की बात सुनते हैं। आप हर तबक़े की माली और तालीमी तरक़्क़ी में कोशाँ हैं और मुख़्तलिफ़ इस्कीमें भी जारी की हैं। ग़रीब लड़कियों को तालीम और उनकी शादी पर पूरा ध्यान। सरकारी तौर पर शादी ब्याह यानी इज्तिमाई शादी और निकाह, बेरोज़गारों के लिए रोज़गार ज़ईफ़ों और बेसहारा लोगों के लिए पेंशन, किसानो के क़र्ज़ की माफ़ी, ग़रीब मरीज़ों का मुफ़्त ईलाज, गाँव-गाँव अस्पताल और डाक्टर और दीगर सहूलियतें।

यह सब शिवराज जी की सरकार में आँखों से देखा जा रहा है। शिवराज जी वज़ीरे आला के ओहदे पर फ़ायज़ होने के बावजूद अवाम से बराबर मिलते रहना चाहते हैं जिसके लिए वक़्तन फ़ौक़तन पंचायत का एहतिमाम करते हैं कभी किसानों की पंचायत कभी ज़ईफ़ों, बुज़ुर्गों की, कभी वकीलों की पंचायत, और कभी सहाफ़ियों की जिसकी वजह से आप समाज के हर तबक़े से जुड़े हुए हैं। सूबे के हालात आपकी नज़रों के सामने रहते हैं। और क्यों न हो मुख्यमंत्री जी ख़ुद भी एक किसान के बेटे हैं और अवाम के दर्द व तकलीफ़ को समझने वाला दिल भी रखते हैं।

दमिश्क़ और हलब में गोलाबारी, 114 अफ़राद हलाक

शाम की सरकारी फ़ौज शुमाली हलब में दाख़िल हो कर बाग़ियों के साथ शदीद लड़ाई में मसरूफ़ रहे। अल-अरबिया टीवी ने शामी जनरल इन्क़ेलाब कमीशन से वाबस्ता कारकुनान के हवाले से इत्तिला दी कि हलब के इलाक़े मशहद में सरकारी फ़ौज की फ़ायरिंग से छब्बीस अफ़राद हलाक हो गये हैं। जबकि मुल्क भर में तशद्दुद के वाक़्यात में मारे गये ११४ अफ़राद में ३२ फ़ौजी और २१ बाग़ी जंगजू शामिल हैं। गुज़िश्ता दिनों शाम में झड़पों और सरकारी फ़ौज की गोलाबारी मे एक १०८ अफ़राद मारे गये हैं। उधर अमरीका का कहना है कि उन्हें ख़दशा है कि शामी हुकूमत मुल्क के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरे हलब में क़त्ले आम की नई लहर की तैयारी कर रही है। अमरीकी वज़ारते ख़ारेजा की तर्जुमान विक्टोरिया नोलेंड ने बताया कि टैंको, हेलीकाप्टर, गनमशीनों और जंगी जहाज़ों की तैनाती से लगता है कि एक बड़ा हमला होने वाला है। उनका कहना था कि ये पेशे रफ़्त इस तनाज़ेह की शिद्दत में बड़ा इज़ाफ़ा है। दूसरी जानिब इत्तिलात के मुताबिक़ हलब के शहर में बाग़ियों ने हमले की तैयारी में हथियार और तिब्बी इमदाद का सामान जमा करना शुरू कर दिया है। विक्टोरिया नौलेंड ने कहा कि हमारी दुआऐं हलब के लोगों के साथ है और ये गिरती हुई हुकूमत को संभालने की एक और कोशिश है। उन्होंने इस बात पर इसरार किया कि अमरीका इस लड़ाई में मुदाख़लत नहीं करेगा और सोलह माह से सद्र बशारुल असद की हुकूमत गिराने की कोशिश करने वाले बाग़ियों को सिर्फ़ ग़ैर मोहलिक एशिया की इमदाद की जायेगी। हम आग में मज़ीद ईंधन डालने में यक़ीन नहीं रखते। यहाँ बैरूनी मदद के लिए अवामी सतह से वह माँग नहीं देखी गई जो दूसरे मुमालिक में थी। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि वह बाग़ियों को मवासलाती आलात और तिब्बी इमदाद का सामान दे रहे हैं। इधर दमिश्क़ में अक़वामे मुत्तहिदा के शाम में अमन मन्सूबा बन्दी के मिशन के सरबराह हारूद लादसोस का कहना था कि कोफ़ी अन्नान के मुश्तरका अमन मन्सूबे के अलावा तनाज़े के हल के लिए उनके पास कोई और प्लान नहीं। अमन मिशन में अक़वामे मुत्तहिदा के फ़ौजियों की तादाद कम करने के फ़ैसले का दिफ़ा करते हुए उन्होंने कहा कि शामियों का शामियों के हाथों मारे जाने को रोकना होगा। उन्होंने बताया कि हमारे पास लोग ज़्यादा थे और हम कुछ ख़ास कर नहीं सकते थे। हलब शाम का तिजारत के लिहाज़ से अहमतरीन शहर है और इसकी आबादी बीस लाख के क़रीब है।

अवाम का राज यानी शिवराज

आसाम के कोकराझार बोंगाई गाँव, धुबरी ओर चिरांग इज़्ला में मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। ये नस्ली तशद्दुद पहले ही ४० अफ़राद से ज़्यादा जानें ले चुका है और दो लाख से ज़्यादा लोग बुरी तरह मुतास्सिर हुए हैं। कोकराझार में हालात के इतिदाल पर आने के साथ ही कर्फ़्यू मे ढील दी गई है। लेकिन दीगर तीन इज़्ला धुबरी, चीरांग और बोंगाई गाँव में अभी कर्फ़्यू में कोई ढील नहीं दी गई जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन इज़्ला में अभी हालात मामूल पर नहीं आये हैं। इन चारों ज़िलों के हज़ारों लोग अपने घरों से भाग गये हैं और उन्होंने पनाह गज़ी कैम्पों में सुकूनत अख़्तियार किए हुए हैं। तवक़्क़ो की जाती है कि वज़ीरे आज़म मनमोहन सिंह २८ जुलाई को कोकराझार का दौरा करेंगे। दरीं आसना तरूण गोगोई ने रिलीफ़ कैम्पों का सर्वे किया है और पनाह गज़ीनों से मुलाक़ात की है। बेशतर इलाक़ों में अभी तक हालात ज्यों के त्यों है जहाँ कर्फ़्यू जारी है देखते ही गोली मार देने के अहकामात दिये गये हैं। नस्ली तशद्दुद उस वक़्त शुरू हुआ जब कोकराझार मे बोडो क़बाईलियों के हाथों एक मुसलमान ज़ाकिर हुसैन को हलाक कर दिया गया था जिसके बाद बलवाईयों ने मुसलमानों के घरों और दुकानों को निशाना बनाया और उन्हें न सिर्फ़ तहस नहस किया बल्कि लूट मार करने के साथ ही उन्हें आग लगा दी।